न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 45/2021

रघुवीर सिंह आदि बनाम जमनाराम आदि

प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति बाबत

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–आदेश–

दिनांकः– 06.07.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा संख्या 22/2021 में पारित निर्णय दिनांक 14.06.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। प्रकरण में कैवियट प्राप्त होने पर कैवियटकर्ता को तलब किया गया। कैवियटकर्ता द्वारा दिनांक 01.07.2021 को प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की गई। दिनांक 06.07.2021 को अपीलांट की और से जवाब प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट ने उपरोक्त अपील अदालत मातहत के आदेश दिनांक 14.06.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की है। आदेश जैर बहस दफा 151 सीपीसी के तहत पारित हुआ है। दफा 151 सी.पी.सी. के तहत पारित आदेश की अपील धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955 व धारा 104 सी.पी.सी. व आदेश 43 नियम 1 सीपीसी के मुताबिक पोषणीय नही है। कानून से धारा 151 सीपीसी के तहत पारित आदेश की निगरानी धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 115 सीपीसी के तहत होती है। राजस्व न्यायालय द्वारा धारा 151 सीपीसी के तहत पारित आदेश की निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल अजमेर को है और अदालत मातहत को निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार नही है। ऐसी सूरत में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलांट की अपील अदालत हाजा में पोषणीय नही होने से खारिज होने योग्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ए.आई.आर. 2000 एस.सी. पेज 204 गगनदीप प्रतिष्ठान प्राईवेट लिमिटेड बनाम मैसर्स मिचानों के केस में यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रारम्भिक आपत्ति को तय किये बिना कोई भी प्रभावी आदेश पारित नही हो सकता और अपील की पोषणीयता के प्रश्न को पहले तय करना होगा। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय भीमाराम बनाम हुक्माराम 1995 डीएनजे. राजस्थान पृष्ठ 60 में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि जहां पर धारा 151 सीपीसी की शक्तियों के अधीन कार्यवाही की गई हो तो उस आदेश की निगरानी होगी। माननीय उच्च न्यायालय का उपरोक्त निर्णय तमाम अपीलांट कोर्ट को सर्कुलेट किया हुआ है। अत प्राथमिक आपत्ति स्वीकार कर अपील खारिज करने का निवेदन किया है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डी.एन.जे. 1995 (राज) पेज 60 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि मौजूदा अपील अदालत मातहत के आदेश दिनांक 14.06.2021 के विरूद्व पेश की है। यह ऐतराज गलत है कि विचाराधीन आदेश दिनांक 14.06.2021 धारा 151 के तहत पारित किया गया हो एवं इसकी अपील धारा 225 के तहत पोषणीय नही है। प्रस्तुत प्रकरण में प्राथमिक आपत्ति स्वीकार योग्य नही है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2016 पेज 178 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचाराधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर पारित किया गया है। इस आदेश के विरूद्व इस न्यायालय में अपील पोषणीय नही होने के सन्दर्भ में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत डी.एन.जे. राजस्थान 1995 पेज 60 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि" **Civil Procedure Code 1908-Sec.151 and O. 39 Rr 1&2 - Order under - Whether appealable or revisionable ? Held where the order is passed while exercising powers u/s 151 C.P.C., then revision will lie and if powers under O. 39 Rr. 1&2 are exercised, the order is appealable - Instructionsa given to all appeallate courts in the State.**

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में पोषणीय नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्राथमिक आपत्ति स्वीकार की जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर